संख्या 906/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी.

प्रेषक,

डी.के. कोटिया,
प्रमुखसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 07 सितम्बर, 2012

विषय : राज्याधीन लोक सेवाओं में 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' सिद्धान्त लागू किया जाना।

महोदय,

प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध एवं समर्थन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2012 से प्रारम्भ की गयी कार्य बहिष्कार/हड़ताल के क्रम में शासन द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता के उपरान्त कतिपय शासनादेश निर्गत करते हुए सभी विभागों को विभागीय संगठनात्मक ढ़ाँचों में रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आहूत करने तथा आवश्यकतानुसार निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं।

2 शासन द्वारा निर्गत किए गए उक्त शासनादेशों के आलोक में प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध अथवा समर्थन में आन्दोलनरत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी हड़ताल दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को स्थगित करने का निर्णय लेकर तत्सम्बन्धी सूचना शासन को भी दी गयी है। तदक्रम में अधिकांश कार्यालयों में कार्मिक दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को कार्य पर वापस आ चुके हैं, किन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी कुछ कार्मिक कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं अथवा ऐसे अनुपस्थित कार्मिक कार्य पर उपस्थित हो चुके अन्य कार्मिकों के द्वारा कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जो कार्मिक अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' सिद्धान्त के आधार पर कार्य पर अनुपस्थित मानकर उन्हें वेतन नहीं दिया जायेगा तथा सेवा में व्यवधान मानते हुए कर्मचारी आचरण नियमावली/कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के संगत प्राविधानों के अनुसार उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने पर भी विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(डी.के. कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या 906 (1)/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
9. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव।